FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

गंगाराम बनाम सरकार [illegible]

किस्म मुकदमा [illegible] नं. 359/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/11/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खंगाराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22/12/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
22/12/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 19/01/21 को पेश हो। [initials]	
19/01/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी प्राप्त नहीं हुई है। चूँकि पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर दिनांक 03/05/2021 को पेश हो। प्र. विप्रार्थी संख्या-7 से 11 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। [initials]	

रख हुक्म

29/03/2022

03/05/2021 पत्रावली पेश हुई। तलबाना परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 13/07/21
को पेश हो।

13/07/21 पत्रावली पेश हुई। तलबाना परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 07/09/2021
को पेश हो।

07/09/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों को नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। विपक्षी संख्या 7 से 11 की ओर से वकील श्री धामन्धाराम सारण द्वारा पूर्व में वकालतनामा पेश किया गया जिनकी ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 22/10/2021 को पेश हो।

22/10/2021 प्रार्थी व विपक्षी संख्या 7 से 11 के वकील उपस्थित। शेष विपक्षीगणों की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। विपक्षी संख्या 7 से 11 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, आईन्दा पेश करना चाहते हैं। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 29/03/2022 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/03/2022	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-7 से 11 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 1 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई अधिवक्ता या वे स्वयं कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी संख्या-1 से 6 व 12 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विप्रार्थी संख्या-7 से 11 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने से विप्रार्थी संख्या-7 से 11 का जवाब बन्द किया जाता है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 19/04/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
19/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-7 से 11 के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत सेहा सेह आये हुए हैं खेतों के मध्य जो पुरानी मांढ व कडो आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है इसलिए प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य खेत के सेतो को लेकर	

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावे। अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नामांकित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली अमल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 337 दिनांक : 19/04/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गंगाराम पुत्र फताराम वगैरा 05, जाति जाट, निवासी फुलासर, पटवार मण्डल चौखला, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. वीरोंदेवी पत्नी नाथाराम वगैरा 12, जाति जाट, निवासी फूलासर, पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 359 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – फूलासर, पटवार मण्डल – चौखला, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 165/63, 167/113 रकबा क्रमशः 0.7524, 5.6630 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 19/04/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 338-342

प्रतिलिपिः–निम्न **को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गंगाराम पुत्र फताराम वगैरा 05,
4. विप्रार्थी श्री वीरोंदेवी पत्नी नाथाराम वगैरा 12,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु